

अनुसूची 14-फारम सं० 502

आदेश पत्रक

(देखें अमिलेख हरतक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक सं० _____ से _____ तक
जिला लाहौर सं० _____ 22 सन 2022-23

केस का प्रकार सीमांकन कागजिलेख

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	आवेदक श्री वरद्वज आलम पिता-पुष्पक सिंह, ब्रह्म-नाथुदाग, भाग-भुजिआ, जिला लाहौर के द्वारा online नगी देरु अवेदन दिया गया है। जिसका भूमि का विवरण निम्नवत है। ब्रह्मका नगी खारा नंगना लौराणा 200 नाथुदाग 167 1556 005 उपरोक्त भूमि के नगी देरु online 1000200 (कलम) रूप में भूमि किया गया है। उक्त भूमि के नगी देरु अंमल भूमि/सामान्य उपनिषिद्ध/अंमल निषिद्ध एवं गैरसीमा को नोटिफिकेशन करे। अतः नगी देरु नोटिफिकेशन किया गया। अंमल अधिकारी 24/06/2022 अमिलेख उपस्थापित। दिनांक - 24/06/2022 को भूमि सीमांकन किया गया था जिसमें पंजीयन के द्वारा अमिलेख दर्ज किया गया है। 18/07/2022 को अतः उपरोक्त भूमि के लक्ष्यमित्रकारी एवं उपनिषिद्ध को अमलात के साथ दिनांक के पुनर्वाही देरु नोटिफिकेशन करे। अंमल अधिकारी	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
18/07/2022	अभिलेख उपस्थापित। इस पर क्र. उपस्थित। आ. उ. नि. / अं. नि. पी. प्र. वि. वि. प्राप्ति 17/ 18/7/22	
23/07/2024	अभिलेख उपस्थापित - अंचल अमीन के द्वारा सीमांकन हेतु आवेदन अर्ज में प्रतिवेदन किया गया है, कि क्षेत्रीय मित्रों एवं अनुसूचित मित्रों द्वारा नाशुका के द्वारा आपत्ति दर्ज की गयी है कि उक्त अर्ज से संबंधित कामला मुन्सी के लैटर में यल खा है, जिसके जवाब अभी सीमांकन कार्य नहीं हो जा सका है क्या अंचल अमीन के द्वारा आप प्रतिवेदन के आलेख में अभिलेख के कार्यपत्र के जारी हैं 24/7/24 अंचल अधिकारी, बनिया	